बिहार सरकार
न्यायालय आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-780/311-1781 दिनांक 10/07/2019

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. प्रधान सचिव,
विधि विभाग, बिहार, पटना।

2. सचिव,
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना।

विषय :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन हेतु अधिनियम की विविध धाराओं अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के प्रावधानों का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन से सम्बन्धित है। इसमें अधिनियम के विविध धाराओं एवं इसमें वर्णित प्रावधानों का विवरण उपलब्ध कराते हुए इसके अनुपालन हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं।

दिव्यांगजनों के अधिकारों के सम्बन्ध में वर्त्तमान में प्रवृत्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (आगे से अधिनियम,2016) की विविध धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को संगत दायित्व सौंपे गए हैं। अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकरों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामले में समुचित प्राधिकारयों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

अधिनियम,2016 दिव्यांगजनों के अधिकारों की संरक्षा, उनके समाज में पूर्ण प्रभावी भागीदारी, समता/अविभेद तथा उनकी क्षमता के उपयोग हेतु समुचित वातावरण प्रदान करने के मूल उद्देश्यों को परिपूरित करता है। विदित हो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-2 (ZC-2) के अन्तर्गत निम्न 21 प्रकार की विनिर्दिष्ट दिव्यांगता यथा: चलन्त संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशिया दुर्विकास, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, बाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रूग्णता, क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एवं सिकल सेल रोग को शामिल किया गया है। अधिनियम की निम्न धाराओं के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़े न्याय तक पहुँच, विधिक सामर्थ्य एवं इस हेतु संरक्षकता के लिए उपबंध तथा विधिक सामर्थ्य का प्रयोग करने में सहायता के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान संबंधी प्रावधान उल्लिखित है। इनका विवरण निम्नवत है :-

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 से सम्बन्धित धाराऐं		
धारा-12 (न्याय तक पहुँच)		(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगता के आधार पर विभेद के बिना किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिक या अर्धन्यायिक या अन्वेषण शक्तियां रखने वाले निकाय तक दिव्यांगजन अपनी पहुंच के अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ हों। (2) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए विशेषतया जो कुटुंब से बाहर रहते है और ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें विधिक अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिक सहायता की अपेक्षा है, समुचित सहायता उपायों को करने के लिए कदम उठाएगी। (3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगजन की अन्य व्यक्तियों के समान ही प्रस्तावित किसी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा या सेवा तक पहुंच हो, जिसके अन्तर्गत युक्तियुक्त आवासन भी है, उपबंध करेंगे। (4)समुचित सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी,– (क) यह सुनिश्चित करेगी कि उनके सभी लोक दस्तावेज सुगम रूप विधान में है; (ख) यह सुनिश्चित करेगी कि फाइल करने वाले विभागों, राजिस्ट्री या किसी अन्य

धारा-12 (न्याय तक पहुँच)		अभिलेख कार्यालय में, सुगम रूप विधान में दस्तावेजों और साक्ष्य को फाइल करने, भंडार में रखने और निर्दिष्ट करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक उपस्कर की पूर्ति कर दी गई है; और (ग) दिव्यांगजनों द्वारा उनकी अधिमानी भाषा और उनकी संसूचना के माध्यमों में दिए गए परिसाक्ष्य, बहस या मत के अभिलेखीकरण को सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपस्कर उपलब्ध कराएगी।
धारा-13 (विधिक सामर्थ्य)		(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान रूप से स्थावर या जंगम, संपत्ति का स्वामित्व या विरासत, उनके वित्तीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार रखेगे और बैक ऋण, बंधक और वित्तीय प्रत्यय के अन्य रूपों तक पहुंच रखेगे। (2) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन जीवन से सभी पहलुओं में अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपभोग करे और विधि के समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यता का अधिकार रखें। (3) जब सहायता प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति और किसी दिव्यांगजन के मध्य विशिष्टतया वित्तीय, सांपतिक या किसी अन्य आर्थिक संव्यवहार को लेकर हितों का कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसी सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उक्त संव्यवहार में दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने से प्रविरत रहेगा; परंतु हितों के विरोध की कोई उपधारणा इस आधार पर ही नहीं होगी कि सहायता देने वाला व्यक्ति, दिव्यांगजन का रक्त विवाह संबंध या दतक ग्रहण से नातेदार है। (4) कोई दिव्यांगजन किसी सहायता संबंधी ठहराव को परिवर्तित, उपांतरित या समाप्त कर सकेगा और किसी दूसरे की सहायता प्राप्त कर सकेगा: परंतु ऐसा परिवर्तन, उपांतरण या समाप्ति भविष्यलक्षी प्रकृति की हागी और उपर्युक्त सहायता संबंधी ठहराव में दिव्यांगजन द्वारा किए गए किसी तीसरे पक्षकार के संव्यवहार को अकृत नहीं करेंगे। (5) दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति असम्यक् असर का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी स्वायत्तता, गरिमा और निजता का सम्मान करेगा।
धारा-14 (संरक्षकता के लिए उपबंध)		(1) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई जिला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अभिहित प्राधिकारी पाता है कि कोई दिव्यांगजन जिसे पर्याप्त और समुचित सहायता प्रदान की गई थी किंतु वह विधिक रूप से आबद्धकर विनिश्चर्यो को लेने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति के परामर्श से ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, उसकी और से विधिक रूप से आबद्धकर विनिश्चय लेने के लिए सीमित संरक्षक की और सहायता प्रदान की जा सकेगी; परंतु, यथास्थिति, जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी ऐसी सहायता की अपेक्षा रखने वाले दिव्यांगजन के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करर सकेंगे या जहां सीमित संरक्षकता बार–बार प्रदान की जाती है उस दशा में दी जाने वाली सहायता की प्रकृति और रीति का अवधारणा करने के लिए, दी जाने वाली सहायता की बावत विनिश्चय का यथास्थिति, न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा। **स्पष्टीकरण**–इस धारा के प्रयाजनों के लिए "सीमित संरक्षकता" से संयुक्त विनिश्चय की एक प्रणाली अभिप्रेत है जो संरक्षक और दिव्यांगजन के मध्य पारस्परिक समझदारी और भरोसे पर प्रचालित है जो विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट विनिश्चय तथा स्थिति तक सीमित होगी और दिव्यांगजन की इच्छानुसार कार्य करेगी। (2) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही दिव्यांगजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध के अधीन नियुक्त प्रत्येक संरक्षक को, सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए समझा जाएगा। (3) किसी विधिक संरक्षक की नियुक्ति करने के, अभिहित प्राधिकरी के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई दिव्यांगजन ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।
धारा-15 (सहायता के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान)		(1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के विधिक सामर्थ्य के प्रयोग करने में उनकी सहायता करने के लिए समुदाय को गतिषील करने और सामाजिक जागरूकता सृजित करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों को अभिहित करेगी। (2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी संस्थान में रहने वाले और जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है दिव्यांगजनों द्वारा विधिक सामर्थ्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त सहायता संबंधी ठहरावों की स्थापना करने के लिए उपाय करेगा और कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हो, करेगा।

"अधिनियम,2016 इन्टरनेट माध्यम एवं इस कार्यालय के बेवसाइट पर सरलता से उपलब्ध है"।

स्पष्ट है कि ये उक्त प्रावधान अधिनियम के मूल उद्देश्यों के संगत प्रावधान है, जो दिव्यांगजनों के विधिक सामर्थ्य उपलब्ध कराने एवं विधिक अधिकारों का अनुप्रयोग करने से जुड़े हैं एवं इनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

उक्त वर्णित प्रावधानों का अनुपालन संबंधित तंत्र व इसकी विविध स्तरीय संचालन इकाईयों अर्थात पदाधिकारी व कर्मचारियों के कार्य व्यवहार को प्रावधान अन्तर्गत वर्णित निदेश अनुरूप ढाल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रावधानों की प्रकृति तंत्र के कार्य व्यवहार में यथा आवश्यक अपेक्षित परिवर्तन तथा तंत्र के प्रत्येक स्तर पर इससे सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की माँग करती है। उल्लेख पूर्वक कहना है कि अधिनियम,2016 के संगत राज्य सरकार द्वारा भी दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 अधिनियम के अनुपालनार्थ जारी की जा चुकी है। उक्त धाराओं के अन्तर्गत वर्णित धाराओं के उल्लंघन संबंधी विविध शिकायतें इस न्यायालय को प्राप्त हो रहे हैं।

उक्तानुसार अनुरोध है कि अपने प्राधिकार स्थित समस्त अधीनस्थ इकाईयों को अधिनियम,2016 के उक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु संवेदित व जागरूक करें तथा इन्हें कार्य व्यवहार में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करें। इसे कर्मियों के कार्य मूल्यांकन के अंग के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि उक्त निदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक भौतिक संसाधनों की व्यवस्था एवं उसका निमित्त हेतु अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जाय। अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई जिलावार प्रतिवेदन भी इस न्यायालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। समर्पित जिलावार प्रतिवेदन के आधार पर राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा जिलावार आयोजित समीक्षा बैठक-सह-चलन्त न्यायालय के दौरान उक्त समर्पित प्रतिवेदनों के आधार पर यथाआवश्यक पूरक कार्रवाई की जा सकेगी।

उक्त विषय में यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रत्येक विभाग/निदेशालय स्तर पर समुचित पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए इसकी सूचना (नाम/पदनाम व सम्पर्क विवरण सहित) इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें। ये नोडल पदाधिकारी अधिनियम,2016 के सम्बन्धित क्षेत्राधीन अनुपालन स्थिति के विषय में इस कार्यालय स्तर से सम्पर्क करने तथा इससे जुड़े आवश्यक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

विश्वासभाजन
ह०/- 10/07/19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-780/आ0 नि0 श0 दिनांक-10/07/2019

प्रतिलिपि:-उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 10/07/19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-780/आ0 नि0 श0 दिनांक-10/07/2019

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 10/07/19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-780/आ0 नि0 श0 दिनांक-10/07/2019

प्रतिलिपि:-बेवसाइट प्रभारी, कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को सूचित किया जाता है कि उक्त पत्र को कार्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करें ताकि दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो सके।

ह०/- 10/07/19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।